आप के राशन पर नहीं डलेगा डाका

कलक्ट्रेट में प्वाइंट आफ सेल मशीन के डेमो का शुभारंभ करते जिलाधिकारी एनपी सिंह। जागरण

- डिवाइस की मदद से होगी निगरानी
- लाभार्थी को ही मिलेगा राशन

संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : आप के राशन पर अब कोई डाका नहीं डाल सकेगा। राशन डीलर फर्जीवाड़ा कर आप के हिस्से का राशन नहीं हड़प सकेगा। तकनीकी मदद से उस पर निगरानी रखी जाएगी। प्रदेश मे यह व्यवस्था करने वाला गौतमबुद्ध नगर पहला जिला है। जिले के चारो ब्लॉक की एक-एक दुकान पर अगले माह से यह व्यवस्था लागू होने जा रही है। बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट में प्वाइट आफ सेल मशीन (डिवाइस) का प्रदर्शन जिलाधिकारी की मौजूदगी मे किया गया।

उपकरण की मदद से होगा राशन वितरण : राशन वितरण मे कालाबाजारी रोकने के लिए हैदराबाद की एक कंपनी ने उपकरण (डिवाइस) बनाया है। इसे संचालित करने के लिए बिजली की जरूरत नहीं होगी। बैट्री से डिवाइस कार्य करेगी। डिवाइस में मोबाइल सिम के जरिये इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। राशन उपभोक्ता को रसीद भी मिलेगी। इस पर राशन डीलर का नाम, राशन वितरण का समय, मात्रा, मूल्य आदि की जानकारी दर्ज होगी।

ऐसे कार्य करेगी डिवाइस : डिवाइस को आधार कार्ड पर आधारित बनाया गया है। लेकिन जिले मे आधार कार्ड का सौ फीसद कार्य पूरा न होने की वजह से फिलहाल इसे राशन कार्ड पर आधारित किया गया है। राशन डीलर आधार कार्ड नंबर से डिवाइस को ऑन करेगा। लाभार्थी को भी आधार कार्ड नंबर देना होगा। तभी उसे राशन मिलेगा। उसकी पहचान के लिए बायोमैट्रिक की व्यवस्था है। यूआइडी के केंद्रीय सर्वर से लाभार्थी की पहचान होगी। इसके साथ संबंधित माह मे वितरित होने वाले राशन, मूल्य, लाभार्थी के कोटे की स्थिति की जानकारी होगी। लाभार्थी के अलावा अन्य किसी को राशन नहीं मिलेगा। राशन डीलर के अलावा कोई अन्य भी राशन वितरण नहीं कर पाएगा। राशन की कीमत भी मशीन पर दिखेगी साथ ही ऑडियो की सुविधा भी डिवाइस में है। लाभार्थी को रसीद भी मिलेगी।

सर्वर पर दर्ज होगी जानकारी : राशन वितरण की जानकारी तुरंत सर्वर पर दर्ज हो जाएगी। अधिकारी व कर्मचारी इसे देख सकेंगे।

वितरण में गड़बड़ी करना नहीं होगा आसान : अभी राशन डीलर वितरण में गड़बड़ी करते है। दुकान खोलने के समय में मनमानी, राशन की मात्रा या लाभार्थी के हिस्से का राशन अन्य को दे दिया जाता है। इसके अलावा फर्जी लाभार्थी दर्ज कर उनके हिस्से का राशन हड़प लिया जाता है।

> राशन की दुकानों पर कालाबाजारी रोकने के लिए प्रायोगिक तौर पर यह व्यवस्था लागू की जा रही है। सफल होने पर इसे अन्य जगहों पर लागू कराने के लिए शासन से अनुरोध किया जाएगा।
>
> -एनपी सिंह, डीएम

पोषाहार वितरण को भी जोड़ा जाएगा : प्रशासन की मंशा है कि राशन के अलावा आंगनबाड़ी केंद्रो से होने वाले पोषाहार वितरण के लिए भी इस व्यवस्था को लागू किया जाए। ताकि पोषाहार वितरण में भी फर्जीवाड़े को रोका जा सके।

इन राज्यों मे लागू है व्यवस्था : फिलहाल आंध्रप्रदेश, राजस्थान, पुंडूचेरी, झारखंड व छत्तीसगढ़ में यह व्यवस्था लागू है।